NABARD

बाह्य परिपत्र सं. 132 / डॉस-12 /2021

संदर्भ सं.राबैं.डॉस / पोलीसी / 772/ जे-1 /2021-22 17 जून, 2021

अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक /
सभी ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय,

एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी और प्रायोजक बैंक के मध्य भुगतान इकोसिस्टम के नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 27 अप्रैल 2021 के हमारे बाह्य परिपत्र सं. 85/डॉस -08/2021-22 का अवलोकन करें, जिसमें भुगतान लेनदेन-निधि अंतरण और/ या इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में सेवा दे रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ ग्रामीण सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहक आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी द्वारा दैनिक लेनदेन का मिलान सुनिश्चित करवाएँ और ग्राहक आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी से सार्वजनिक ईमेल डोमेन पर प्राप्त किसी पत्राचार पर विचार नहीं करें. तथापि, वर्तमान में महामारी की स्थिति को देखते हुए भुगतान इकोसिस्टम के संबंध में उत्पन्न चिंताओं के मद्देनजर निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

क. ग्राहक आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में सेवा दे रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ ग्रामीण सहकारी बैंकों को कड़ाई से सूचित किया जाता है कि वे **01 अगस्त 2021** से इन ग्राहक बैंकों से सार्वजनिक ईमेल डोमेन (जो ईमेल डोमेन बैंक विशिष्ट नहीं हैं) पर प्राप्त किसी पत्राचार पर विचार नहीं करें. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ ग्रामीण सहकारी बैंक अपने आरआरबी/ आरसीबी/ यूसीबी ग्राहकों के साथ सुरक्षित ईमेल उपयोग पद्धति (बैंक विशिष्ट ईमेल डोमेन के उपयोग सहित) संबंधी मामले को उठाएं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6812 0039• Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org

ख. आरआरबी/आरसीबी तत्काल प्रभाव से अपने आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी ग्राहकों से निधि अंतरण के अनुरोध प्राप्त करने/ भेजने के लिए ईमेल का उपयोग नहीं करेंगे/ स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे ग्राहक बैंकों द्वारा कोई भी ईमेल डोमेन इस्तेमाल किया गया हो.

ग. आरआरबी/ आरसीबी एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पद्धति के रूप में अपने आरआरबी/ आरसीबी/यूसीबी ग्राहकों से दैनिक मिलान प्रस्तुत करने के लिए फॉलो-उप करते रहेंगे. **01 अगस्त 2021** से ग्राहक आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में सेवा दे रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ ग्रामीण सहकारी बैंक ग्राहक बैंकों से **लगातार 3 दिनों तक** लेनदेन के दैनिक मिलान की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में उनका कार्पोरेट बैंकिंग सेवा अनिवार्य रूप से निष्क्रिय कर देंगे. लेनदेन की अद्यतन स्थिति की पुष्टि होने के बाद ही सेवाएं पुनः शुरू की जानी चाहिए.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रायोजक बैंक की सेवाएँ प्रदान करने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए मिलान और बैंक विशिष्ट ईमेल डोमेन के बारे में अनुदेश जारी किया है. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से इस प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने वाले राज्य सहकारी बैंक, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस अनुदेश का पालन करना होगा. इस संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से इस प्रकार की भुगतान सेवाएं प्राप्त करने वाले आरआरबी/रास बैंक/ जिमस बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

क. बैंक विशिष्ट ईमेल डोमेन से संबंधित दिनांक 10 दिसंबर 2019 के हमारे परिपत्र सं. 315/डॉस-31/2019 के संदर्भ में, सभी क्षेग्रा बैंकों/रास बैंकों/जिमस बैंकों को सूचित किया जाता है कि **31 जुलाई 2021** तक बैंक विशिष्ट ईमेल डोमेन का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें. इस अनुदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में व्यवसाय प्रतिबंध लगाने सहित अन्य पर्यवेक्षकीय कार्रवाई की जा सकती है.

ख. चुंकि ईमेल फिशिंग/स्पूफिंग हमले विभिन्न साइबर घटनाओं में देखे जाने वले सबसे आम अटैक वेक्टर है. अतः क्षेग्रा बैंकों/रास बैंकों/जिमस बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अनुसूचित वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक से प्राप्त अंतरण के अनुरोध प्राप्त करने के लिए / भेजने के लिए या बैंक शाखाओं के मध्य पत्राचार के लिए ईमेल का उपयोग नहीं करेंगे/ स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे ग्राहक बैंक/ ग्राहक आरआरबी/आरसीबी/यूसीबी द्वारा कोई भी ईमेल डोमेन इस्तेमाल किया गया हो.

ग. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक से प्रायोजक बैंक की सेवाएं प्राप्त करने वाले सभी आरआरबी/ आरसीबी/ डीसीसीबी को सूचित

किया जाता है कि वे अनुसूचित वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक के माध्यम से किए गए लेनदेन का मिलान दैनिक आधार पर अवश्य करें. इस आशय की पुष्टि संबंधित प्रायोजक बैंक के साथ साझा की जानी चाहिए. लेनदेन संबंधी अनिवार्य मिलान की शर्त उन सभी आरआरबी/एसटीसीबी/डीसीसीबी के लिए लागू है, जिनका अनुसूचित वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक में चालू खाता है और वे उनकी इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं, भले ही वे इन अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक के उप-सदस्य न हों.

घ. यह पुनः कड़ाई से सूचित किया जाता है कि प्रायोजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से सार्वजनिक ईमेल डोमेन से प्राप्त किसी पत्राचार पर विचार नहीं करें.

4. इस परिपत्र की प्रति बोर्ड की आगामी बैठक में रखी जाए और इसके बाद इसकी पुष्टि हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाए.

5. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएं.

भवदीय

हस्ता/-

(के एस रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक